



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-5

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 258669 दिनांक 03/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
---------	--------------	--------------------------	---------------	------------------	--	--------------	-------------------------------	----------------------------------



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Shiv Kumar Meena S/o Ram Shai	श्रीमती आशा रानी पत्नी श्री उम्मेद जैन	29	266.67 SQ. YARD	Private	SHRI RAM NAGAR	Name Transfer	श्रीमती आशा रानी द्वारा श्री रामगोपाल शर्मा पुत्र श्री कल्याण सहाय शर्मा को रजिस्टर्ड मुख्तयारनामाआ म दिनांक 23.02.2011 को नियुक्त किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बेचान श्री रामगोपाल शर्मा द्वारा श्रीमती रुकमणी देवी पत्नी श्री जगदीश नारायण शर्मा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.09.2011 के द्वारा विक्रय किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बेचान श्रीमती रुकमणी देवी द्वारा श्री शिव कुमार मीणा पुत्र श्री राम सहाय मीणा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.07.2012 के द्वारा विक्रय किया गया।
---	-------------------------------------	---	----	--------------------	---------	----------------------	------------------	--



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Shiv Kumar Meena S/o Ram Shai को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।